राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः—ई—20 / नर्सिंग / ANM / 1215 / 2021 / दिनांकः—

—: संशोधन आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 549 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा **श्रीमती सुमेता कुमारी**, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) उपकेन्द्र, गेंहू, खण्ड बाड़मेर का जीएनएम प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था।

क्रसं	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	अवकाश विवरण
1.	26.10.2016	25.10.2018	2 वर्ष	अध्ययन अवकाश
2.	26.10.2018	22.02.2019	120 दिवस	उपार्जित अवकाश
3.	23.02.2019	25.10.2019	245 दिवस	असाधारण अवकाश

कार्मिका के स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व स्वीकृत अध्ययन अवकाश के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित अवकाश स्वीकृत किया जाता है—

क्रसं	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	अवकाश विवरण
1.	26.11.2016	25.11.2018	2 वर्ष	अध्ययन अवकाश
2.	26.11.2018	25.03.2019	120 दिवस	उपार्जित अवकाश
3.	26.03.2019	25.11.2019	245 दिवस	असाधारण अवकाश

—Sd—
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—ई—20 / नर्सिंग / ANM / 1215 / 2021 / 350 दिनांक 12.04.2021

दिनांकः— प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाडमेर।
3. श्रीमती सुमेता कुमारी, म.स्वा.का. को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. रक्षित / आदेश प्रत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर